संख्या-460/2023/2817/22-2-2022-21(49)/2021

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2023

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश उर्फ टोकालाल पुत्र श्री चेतराम तेली निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30142/प्रोबे0-5-दया0/के0का0 आगरा-2590, दिनांक 22.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सतीश उर्फ टोकालाल पुत्र श्री चेतराम तेली, नगला जोध, थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी का अपनी भाभी के साथ नाजायज सम्बन्ध होने के कारण दिनांक 12.09.2001 को भाई ने गुस्से में पत्नी से कहा की तुम हम दोनों भाई में से किसी एक के साथ रहना होगा। इसी बात से नाराज होकर बन्दी ने अपने भतीजे गोविन्द को लेकर छत पर चला गया वहाँ से भाई को बुला रहा था और कह रहा था की तुम ऊपर आ जाओ वरना तुम्हारे पुत्र गोविन्द को मार दूंगा। भाई ने जाने से इन्कार किया और कहा कि में थाने में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा, जिससे बन्दी ने नाराज होकर तमंचा से गोली मारकर भतीजे गोविन्द की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-325/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज, ई0सी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक-12.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-08.03.2017 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2021 तक 19 वर्ष, 09 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 07 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, दोनों पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश विद्यमान होने के कारण कोई भी अप्रिय घटना घटित होने, शारीरिक रूप से सशक्त होने के कारण पुनः अपराध करने की संभावना होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की लगभग 48 वर्ष आयु एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा पुनर्विचारित आख्या में रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने तथा कारागार में अनुशासनहीनता के लिए दिये गये जेल दण्ड के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश उर्फ टोकालाल (बन्दी संख्या-17100) पुत्र श्री चेतराम तेली निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-460/2023/2817(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को स्पेशल लीव पिटीशन (क्रि0) डायरी नं0-(एस) 29723/2018 सतीश चन्द्र उर्फ टोकालाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2021 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।